न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 439 / 2022

वाद दायरी दिनांक :– 22.08.22

1. बृजलाल पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू
2. सहीराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू
3. सतवीर पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू

(राज.)

वादी

बनाम

1. भूमि अधिकारी तहसीलदार मण्डावा।
2. मोहनी पुत्री पूर्णराम पत्नी मोहन जाति जाट निवासी कबीरसर तहसील मण्डावा।
3. कमला पुत्री पूर्णराम जाति जाट निवासी कबीरसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू

प्रतिवादीगण

वकील वादीगण– श्री रणजीत एडवाकेट

दावा घोषणार्थ एंव स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांकः– 05.12.2024

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की वंशावली निम्न प्रकार से है:–

कानाराम

पूर्णराम (फौत) श्योलाराम (फौत)(अविवाहित नाऔलाद फौत)

बृजलाल (वादी सं.1)

उपखण्ड अधिकारी सहीराम (वादी सं.2)

मण्डावा

सत्यवीर (वादी सं.3)

इस प्रकार से वादीगण स्वर्गीय कानाराम के वारीसान है। उक्त स्व. कानाराम के दो पुत्र हुये जो कमशः स्व. पूर्णराम व स्व. श्योलाराम हुये उक्त दोनों का भी देहान्त हो चुका है। पूर्णराम के

पुत्रान बृजलाल (वादी स.1) सहीराम (वादी सं.2) व सत्यवीर (वादी सं. 3) हुये व उक्त श्योलाराम अविवाहित था व उक्त श्योलाराम का देहान्त हो चुका है व श्योलाराम केवारीसान भी वादीगण ही है। वाके ग्राम वाहिदपुरा तहसील मण्डावा में गत ख.न. 102 तादादी 0 बीघा 3 विश्वा व ख.न. 103 तादादी 18 बीघा कुल किता 2 कुल तादादी 24 बीघा 3 विश्वा थी जिसके वर्तमान ख.न. 209 तादादी 1.65 हेक्टर, ख.न. 210 तादादी 0.01 हेक्टर खूप ख.न. 211 तादादी 0.02 हेक्टर ख.न. 212 तादादी 4.43 हैक्टर कुल किता 4 कुल तादादी 6.11 हैक्टर अवस्थित है। यह जमीन पहले पूरण व श्योला पिसरान काना के नाम से थी व उक्त श्योलाराम व पूर्णराम के देहान्त हो जाने पर यह जमीन वादीगण के नाम से आ गई जिसका कोई विवाद नहीं है।वाके ग्राम वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं में भूमि गत खसरा नम्बर 69 तादादी 11 बीघा जिसके हाल खसरा नं. 155 तादादी 2. 78 हैक्टर है यह जमीन श्योलाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी वाहिदपुरा के खातेदारी में दर्ज है उक्त श्योलाराम का देहान्त दिनाक 20. 04.17 को हो चुका है। श्योलाराम के वारिसान वादीगण ही है क्योंकि श्योलाराम अविवाहित व ना औलाद था व वादीगण श्योलाराम के भाई पूर्णराम के लड़के है। श्योलाराम कोई संतान नहीं थी इस कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण ही उक्त श्योलाराम की जमीन के खातेदार व काश्तकार हुये।श्योलाराम व पूर्णराम के खातेदारी व काश्तकारी की जमीन गत ख. न. 102 व 103 कुल तादादी 24 बीघ्झा 3 विश्वा थी। उक्त श्योलाराग व पूर्णराम के देहान्त होने पर गत ख.न.102 व 103 जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट के बाद नये ख.न. 209, 210, 211, 212 कुल किता 4 कुल तादादी 6.11हैक्टर वादीगण के नाम से आ गई जिसका कोई विवाद नहीं है।उक्त श्योलाराम ने एक रजिस्टर्ड वसीयत बहक वादीगण जमीन जैर बहस खसरा नं.155 तादादी 2.78 हैक्टर की वादीगण के नाम कर दी। जो उप पंजीयक झुझुनूं के यहां तसदीक करा दी। इस कारण जमीन जैर बहस ख.न. 155 तादादी 2.78 हेक्टर कानूनन वादीगण के नाम से हो गई।वसीयत में चादी बृजलाल का नाम बजरंगलाल दर्ज हो गया। इस कारण से तहसीलदार मण्डावा ने इस जमीन का नामान्तरकरण वादीगण के नाम दर्ज नहीं किया।वादीगण ने तहसीलदार मण्डावा से जमीन जैर बहस खसरा नं. 155 तादादी 2.78 हैक्टर का श्योलाराम के देहान्त नामान्तरकरण वादीगण के नाम करवाना चाहा तो तहसीलदार ने दिनांकं 9/7/22 को कहा कि उपखण्ड अधिकारी के यहां दावा करने पर ही रिकार्ड दुरूस्त होगा इस कारण दावा करना पड़ रहा है। अतः वाद पेशकर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कियाजाकर धोषणा इस आश्य की प्रदान की जाने किक– आयां जमीन और बहस वर्तमान ख.न. 155 तादादी 2. 78 हैक्टर का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावे। स– आया भूमि वर्तमान खसरा नं. 209,210,211,212 कुल किताब कुल तादादी 6.11 हेक्टर व ख.न.155 तादादी 2.78 हेक्टर वाके ग्राम वाहिदपुरा तहसील मण्डावा का विधिवत विभाजन किया जाकर लगान का भी बंटवारा कर व रास्ते का इन्द्राज कर प्रारम्भिक डिकी जारी कर अन्तिम डिकी प्रदान की जाये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया प्रतिवादी न0 02 व 03 की तामिल जरिये जरिये पंजीकृत डाक से करवायी गई। इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नही होने पर इसने विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी न0 01 तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई श्योलाराम पुत्र कानाराम अविवाहित फौत हुआ है जिसकी पंजीकृत वसीयत बहक बजंरगलाल, संतकुमार व सहीराम पुत्र पूर्णाराम के पक्ष में की गई है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर कि वाके ग्राम वाहिदपुरा खसरा नम्बर 155 रकबा 2.78 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाने का निवेदन किया।

विधि में भूमि के धोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 घोषणार्थ का प्रावधान किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में वाके ग्राम वाहिदपुरा खसरा नम्बर 155 रकबा 2.78 हैक्टर वर्तमान खातेदारी श्यालोराम पुत्र कानाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार श्योलाराम पुत्र कानाराम अविवाहित फौत हुआ है जिसकी पंजीकृत वसीयत बहक बजंरगलाल, संतकुमार व सहीराम पुत्र पूर्णाराम के पक्ष में की गई है। अतः वादीपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाके ग्राम वाहिदपुरा खसरा नम्बर 155 रकबा 2.78 हैक्टर में खातेदार मृतक श्यालोराम पुत्र कानाराम का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12..2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 439/22 बृजलाल बनाम सरकार वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कताई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05.12.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम वाहिदपुरा खसरा नम्बर 155 रकबा 2.78 हैक्टर में खातेदार मृतक श्यालोराम पुत्र कानाराम का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.12.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा